(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3701—एक/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—08—2012 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 69/निगरानी/2011—2012.

.....

बद्री प्रसाद चौधरी तनय शिबुआ चौधरी
निवासी वार्ड कमांक—8 बुढ़ार जिला
शहडोल म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

आनन्द जायसवाल पिता जवाहर जायसंवाल
वार्ड कमांक 13 बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायाल अपर कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—08—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बुढ़ार की वादग्रस्त भूमि किता 07 रकवा 3.83 एकड़ सुदर्शन वल्द दशरथ चमारके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उसके फौत होने पर उसके वारिस पुत्र शिबुआ के द्वारा पंजी कमांक 8 वर्ष 1960—1961 में पारित आदेश दिनांक

26.4.1961 द्वारा रजामंदी से सुकऊ वल्द मछलिया कुम्हार के नाम पर नामांतरण कराया है। शिबुआ के द्वारा अपने जीवल काल में इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। आवेदक सिबुआ का लड़का है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। सुदर्शन ने अपने जीवनकाल में इसी वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि आनन्द प्रकाश वगैरह का बिक्री की गई थी, जिसका नामांतरण भी स्वीकार हो चुका था लेकिन राजस्व अभिलेख में सुधार नहीं हुआ था जिसके फलस्वरूप पंजी क्रमांक 8 वर्ष 1960–61 में पारित आदेश द्वारा समस्त भूमि सुकऊ के नाम दर्ज हो गई थी। अतिरिक्त तहसीलदार बुढ़ार के प्रकरण क्रमांक 1/अ–6/1982–83 में अनावेदक क्रमांक –1 स्वयं पक्षकार था तथा उसके द्वारा जबाव भी प्रस्तुत किया गया है, इस तरह उसे वाग्रस्त भूमि के संबंध में पंजी क्रमांक 8 वर्ष 1960–61 में पारित आदेश की जानकारी हो गई थी। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सोहगपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 30.7.07 को धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया इसी से परिवेदित होकर अनावेदक आनन्द जायसवाल द्वारा अपर कलेक्टर जिला शहडोल के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 31.8.12 से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.12 विधि एवं तथ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि सुकऊ कुम्हार के नाम उक्त वर्णित भूमियों का नामांतरण जब किया गया, तब सुदर्शन चौधरी की मृत्यु हो चुकी थी, और सुदर्शन का पुत्र शिब्बू उर्फ शिबुआ चौधरी निगरानीकर्ता का पिता जीवित था स्व0 सुदर्शन और उसके पुत्र शिबुआ चौधरी द्वारा उक्त वर्णित भूमि को कभी भी किसी भी दीगर व्यक्ति को विक्रय या अंतरित नहीं किया गया, और राजस्व अधिकारियों ने स्व0 सुदर्शन चौधरी को मृत्यु के बाद उसके पुत्र शिब्बू उर्फ शिबुआ चौधरी के नाम न कर सुकुऊ कुम्हार के नाम अवैधानिक तरीके से नामांतरित कर दिया जिसकी कोई सूचना स्व0 शिब्बु उर्फ शिबुआ चौधरी निगरानीकर्ता के पिता को नहीं दी गई और न ही नामांतरण में कोई

सहमति ली गई। उक्त नामांतरण निगरानीकर्ता उसके पिता या पितामह के चोरी –छिपे हुआ है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में हुये विलंब को कानून की कसौटी में कसकर देखा और क्षमा योग्य पाया जिसे अकारण ही अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कला बाई बनाम मुल्लू सिंह 1991 राजस्व निर्णय 250 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अधिकारिता रहित नामांतरण आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, और पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अपर कलेक्टर जिला शहडोल का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपील उस आदेश के दिनांक की तारीख से जिसके की संबंध में आपत्ति की जाय 45 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात उप खण्ड अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की जा सकती । इस प्रावधान के अनुसार अनावेदक कमांक 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य थी जिसे निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.7.07 में यह माना है कि प्रश्नाधीन नामांतरण आदेश की जानकारी आवेदक के पिता शिब्बू उर्फ शिबुआ चौधरी को उसके जीवल काल में ही हो चुकी थी किन्तु उसके द्वारा इस आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, जिसके कारण उक्त नामांतरण आदेश अंतिम हो चुका है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है आवेदक का धारा 5 का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्यों कि कोई पक्षकार जानबूझ कर अपने अधिकारों के प्रति लापरवाही करता हैं तो उसे भारतीय म्याद अधिनियम के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर कलेक्टर का आदेश विधि प्रावधानों से उचित है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, इसलिये आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया है जिससे परिवेदित होकर अपर कलेक्टर शहडोल को निगरानी प्रस्तुत की थी । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदक द्वारा धारा –5 म्याद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में दर्शाया है कि आलोच्य आदेश की जानकारी उसे दिनांक 26.12.05 को अतिरिक्त तहसीलदार बुढ़ार के जांच प्रकरण में आनन्द कुमार के द्वारा उक्त नामांतरण पंजी की नकल की छाया प्रति प्रस्तुत करने पर हुई है। अनावेदक आनन्द जायसवाल ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.6.07 को प्रस्तुत अपने जवाब दावा की कण्डिका 6 में दर्शाया है कि दिनांक 9.2.1983 को आनन्द प्रकाश चतुर्वेदी के प्रकरण में आवेदक स्व0 शिबुआ को आलोच्य आदेश की जानकारी हो गई थी जबाव की कण्डिका 7 में दर्शाया है कि अतिरिक्त तहसीलदार बुढ़ार के न्यायालय में दिनांक 6.7.04 को नामांतरण पंजी की नकल प्राप्त कर दिनांक 7.6.05 को लिस्ट कागजात के साथ प्रस्तुत की गई थी। आवेदक के पिता स्व0 शिबुआ द्वारा आदेश की जानकारी का दिनांक 26. 12.05 दर्शाया है वह गलत है। आवेदक द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उससे उसके जवाबदावा के अभिवचन की पुष्टि होती है। परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर का प्रकरण कमांक 54/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 30.07.07 को अपर कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 31.8.12 से निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 69/निगरानी/2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 31–8–2012 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होनें से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर